



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 02.03.2025

1.थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना/कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 21.02.2025 को डी पार्क कट के पास मोटर साईकिल पर सवार 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 070/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.03.2025** को मैनुअल इन्टेलीजेन्स के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियोग में वांछित अभियुक्त भोपाल सिंह राठौर पुत्र स्व0 धनसिंह नि0- प्राचीन शिव मन्दिर के पास कडकडडूमा थाना आनन्द विहार दिल्ली को कुलेसरा पुस्ता के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

भोपाल सिंह राठौर पुत्र स्व0 धनसिंह नि0-म0नं0-12 प्राचीन शिव मन्दिर के पास कडकडडूमा थाना आनन्द विहार दिल्ली उम्र करीब 61 वर्ष

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 070/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर

2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 110 पच्चे अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.03.2025** को थाना **सेक्टर-63**, नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त मोहन राय पुत्र

हरिराम राय को थाना क्षेत्र के एफएनजी सर्विस रोड़ ग्रीन बेल्ट गेट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 110 पच्चे अवैध शराब बेस्टो व्हिस्की हरियाणा मार्का बरामद हुए है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं यह शराब हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में लाकर इंडस्ट्री एरिया में राह चलते मजदूर किस्म के लोगों को अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाता हू।

अभियुक्त का विवरण--

मोहन राय पुत्र हरिराम राय निवासी मोहल्ला अनुज नगर के.वी नगर थाना शाहगंज, जिला आगरा (उम्र 56 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण--

110 पच्चे बेस्टो व्हिस्की हरियाणा मार्का हरियाणा अवैध शराब

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 101/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा